न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

संदेहात्मक वाद सं0–05/17–18

सोमर यादव बनाम धनु महतो वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
18/11/21	आवेदक सोमर यादव, पिता–स्व0 गुदी यादव, साकिन–गोवरडीह, थाना–वशिष्टनगर जोरी, जिला–चतरा द्वारा मौजा–गोवरडही, थाना सख्या–169, खाता संख्या–05, प्लॉट सख्या– 16, रकवा– 30 डी0 प्लॉट संख्या– 27 रकवा– 84 डी0 प्लॉट सख्या– 39 रकवा– 53 डी0 प्लॉट सख्या– 41 रकवा– 23 डी0 प्लॉट– 43 रकवा– 52 डी0 प्लॉट संख्या– 48 रकवा– 09 डी0 प्लॉट संख्या– 66 रकवा– 20 डी0 प्लॉट संख्या– 80 रकवा– 16 डी0 प्लॉट संख्या– 68 रकवा– 39 डी0 प्लॉट संख्या– 93 रकवा– 01 एकड़ प्लॉट संख्या– 17 रकवा– 37 डी0 प्लॉट संख्या– 20 रकवा– 97 डी0 प्लॉट सख्या– 24 रकवा– 90 डी0 प्लॉट संख्या– 25 रकवा– 03 डी0 प्लॉट संख्या– 37 रकवा– 1.56 एकड़ प्लॉट संख्या– 44 रकवा– 83 डी0 प्लॉट सख्या–100 रकवा– 48 डी0 प्लॉट सख्या– 101 रकवा– 91 डी0 प्लॉट संख्या– 102 रकवा– 02 डी0 प्लॉट संख्या– 103 रकवा– 02 डी0 प्लॉट संख्या– 105 रकवा– 02 डी0 प्लॉट संख्या– 106 रकवा– 01.45 एकड कुल प्लॉट 22 कुल रकवा– 11.92 एकड भूमि के संदर्भ में विपक्षीगण धनु महतो, छेदी यादव वगैरह के नाम से चल रहे जमाबंदी को रद्द करने से संबंधित आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया गया है। तद्नुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया।	

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि– "यह कि खाता सख्या 05 ग्राम गोवरडीह, थाना वशिष्ठ नगर जोरी, थाना सख्या 169 खतियान में आवेदक सोमर महतो के परदादा विशु महतो के नाम से खतियान दर्ज है। खाता संख्या–05, प्लॉट सख्या– 16, रकवा– 30 डी0 प्लॉट संख्या– 27 रकवा– 84 डी0 प्लॉट सख्या– 39, रकवा– 53 डी0 प्लॉट सख्या– 41 रकवा– 23 डी0 प्लॉट– 43 रकवा– 52 डी0 प्लॉट संख्या– 48 रकवा– 09 डी0 प्लॉट संख्या– 66 रकवा– 20 डी0 प्लॉट संख्या– 80 रकवा– 16 डी0 प्लॉट संख्या– 68 रकवा– 39 डी0 प्लॉट संख्या– 93 रकवा– 01 एकड़ प्लॉट संख्या– 17 रकवा– 37 डी0 प्लॉट संख्या– 20 रकवा– 97 डी0 प्लॉट सख्या– 24 रकवा– 90 डी0 प्लॉट संख्या– 25 रकवा– 03 डी0 प्लॉट संख्या– 37 रकवा– 1.56 एकड़ प्लॉट संख्या– 44 रकवा– 83 डी0 प्लॉट सख्या–100 रकवा– 48 डी0 प्लॉट सख्या– 101 रकवा– 91 डी0 प्लॉट संख्या– 102 रकवा– 02 डी0 प्लॉट संख्या– 103 रकवा– 02 डी0 प्लॉट संख्या– 105 रकवा– 02 डी0 प्लॉट संख्या– 106 रकवा– 01.45 एकड़ कुल प्लॉट 22 कुल रकवा– 11.92 एकड भूमि है। यह कि विशु महतो अपने जीवन काल में उक्त खाता एवं प्लॉट की सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार थे तथा अपने पीछे दो पुत्र जागा महतो एवं मनी महतो को छोड़कर मृत हो गये। यह कि जागा एवं मनी महतो अपने जीवन काल में सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार हुए तथा जागा महतो निःसंतान मृत हो गए। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि पर मनी महतो दखलकार हुए तथा अपनी पीछे तीन पुत्र क्रमशः रामेश्वर महतो, गुदी महतो, बबुनी महतो को छोड़कर मृत हो गये। यह कि रामेश्वर महतो, गुदी महतो एवं बबुनी महतो उपरोक्त वर्णित भूमि पर दखलकार हुए एवं तीनों भाई अपने जीवन काल में हिस्से के मुताबिक दखलकार हुए। यह कि गुदी महतो अपने पीछे एकमात्र लड़का सोमर गोप को छोड़कर मृत हो गये तथा अपने पिता के मृत्यु के बाद सोमर गोप हिस्से वाली जमीन दखलकार हुए एवं सरकारी रसीद अपने नाम से निर्गत कराते रहे। यह कि सोमर गोप अपने जीवन काल में उपरोक्त भूमि में से कभी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से न तो स्वयं और ना ही उनके पिता गुदी महतो द्वारा कोई विक्रीनामा लिखा गया। यह कि कलान्तर में आवेदन सोमर महतो के नाम से पंजी 2 में डिमाण्ड घटता चला गया जिसकी जानकारी आवेदक सोमर महतो को अशिक्षित होने के कारण जानकारी प्राप्त न हो सकी। यह कि हाल के दिनों में जब आवेदक अपने बाल बच्चों को सारी बातो की जानकारी के पश्चात्

पता चला कि उपरोक्त खाता प्लॉट की जमीन में से विपक्षीगण के नाम से जमाबंदी चल रही है। विपक्षीगण बिना अधिकार वो कागज के जालसाज कर अपने अपने नाम से सरकारी रसीद कटवाते रहे है। तत्पश्चात् आवेदक अंचल कार्यालय में आवेदन देकर तथ्यों को स्पष्ट करते हुए सम्पूर्ण भूमि की सरकारी रसीद निर्गत करने हेतु प्रार्थना किया गया लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा मौखिक बताया गया कि सम्पूर्ण तथ्यों के आलोक में आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में आवेदन दिजिए, वहा से जब मुझे उपरोक्त खाता से संबधित रिर्पोट मांगी जायेगी तब मैं रिर्पोट दिया जायेगा। यह कि आवेदक द्वारा लाचार होकर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि खाता सख्या 05 ग्राम गोवरडीह थाना वशिष्ठ नगर जोरी, जिला चतरा के संबंध में अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन मॉग करने की कृपा की जाय साथ ही विपक्षीगण के नाम से संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने की कृपा की जाय।''

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि– ''यह कि आवेदक के द्वारा दायर किया गया यह आवेदन पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है कि आवेदक के द्वारा यह आवेदन बिना किसी आधार के दायर किया गया है। यह है कि मौजा–गोबराडीह, थाना–वशिष्टनगर (जोरी) खाता संख्या–05 कुल प्लॉटों की संख्या–22 कुल रकवा–11.92 एकड़ भूमि सर्वे खयितान में बिशु महतो के नाम दर्ज है। यह है कि बिशु महतो का वंशावली अनुसूची–'A' में अंकित है जो इस जवाब का हिस्सा है। यह है कि सर्वे रैयत बिशु महतो के दो पुत्र थे–जागो महतो, मनी महतो एवं दो पुत्री थी–टुईया देवी एवं बुतरी देवी। यह है कि बिशु महतो द्वारा अपनी पुत्री का विवाह दयाल महतो तथा बुतरी देवी का विवाह देवनाथ महतो के साथ किया गया। बिशु महतो अपने पुत्री एवं दामाद को अपने घर पर घर जमाई के रूप में रख लिए। बिशु महतो अपनी जीवन में खाता संख्या–05 के रैयती जमीन को अपने पुत्र एवं पुत्री के बीच चार हिस्से में लगभग 1936 ई0 के आसपास प्रत्येक पुत्र एवं पुत्री 1/4 भाग के अनुसार हिस्सा दे दिए। बंटवारां के बाद टुईया देवी, पिता–बिशु महतो एवं पति–लोधर महतो कुल रकवा–2.98 एकड़ भूमि में से अपने 1/4 हिस्सा पर दखलकार हुए तथा विभिन्न फसल उगाकर उपभोग में लाते रहें। यह है कि टुईया देवी, पति–लोधर महतो के पुत्र दयाल गोप हुए, जो उनके मृत्यु के पश्चात् भूमि का रकवा–2.98 एकड़ भूमि पर दखलकार हुए। यह है कि दयाल गोप

अपने पुरे जीवन काल में भूमि पर काबिज रहे तथा अंचल हण्टरगंज में लगान देकर लगातार रसीद प्राप्त करते रहे। यह है कि दयाल गोप के तीन पुत्र हुए–केशर गोप, बुधाली गोप एवं फुचु गोप जो दयाल गोप के उत्तराधिकारी हुए। यह है कि भूमि का रकवा–2.98 एकड़ भूमि उक्त तीनों भाईयों के बीच बँटवारा हुआ। यह है कि केशर यादव के पांच पुत्र हुए–बाढो यादव, सुरेश यादव, राजेन्द्र यादव, महाबीर यादव एवं पीणा यादव उनमें से सुरेश यादव की मृत्यु हो गई। सुरेश यादव के पुत्र विनोद यादव एवं राजेश यादव हुए जो इस वाद में पक्षकार नहीं बनाये गए हैं। इसी प्रकार बुधाली गोप के भी दो पुत्र हुए इंदो यादव एवं झांघु यादव जो कि ये दोनों भी इस वाद में पक्षकार नहीं बनाये गये हैं। उसी प्रकार फुचु गोप अपने चार पुत्र छेदी महतो, झरी महतो, महांगो यादव एवं सत्येन्द्र यादव को छोड़कर मृत हुए। सिर्फ छेदी महतो को छोड़कर किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। चौधरी महतो, पिता–जागों महतो नावल्द मृत हो गये। अंतिम दाह संस्कार एवं अन्य श्राद्ध कार्य दुईया देवी एवं बुतरी देवी के पुत्रों के द्वारा निर्वहन किया गया। इस प्रकार चौधरी महतो के हिस्से की जमीन का लगान दयाल महतो एवं झाख महतो के द्वारा दिया गया एवं चौधरी महतो के जमीन पर दखलकार हुए। दयाल महतो के द्वारा 1.48 एकड़ तथा झाख महतो के द्वारा 1.50 एकड़ भूमि का लगान देकर रसीद प्राप्त किया गया। इस प्रकार उक्त अभिलिखित तथ्य के क्रम में छेदी महतो एवं झख महतो उक्त कथित भूमि एवं चौधरी महतो के हिस्से के जमीन पर शातिपूर्वक काबिज है। यह है कि सोधन महतो एवं सोमर महतो द्वारा ग्राम पंचायत होसिर के समक्ष भी वाद दायर किये थे, वहाँ इनके द्वारा स्वीकार किया गया था कि लगान बकाया होने के कारण दयाल महतो एवं झख महतो के द्वारा पूर्व जमीन्दार को लगान देकर रसीद प्राप्त किया गया था। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकार को लगान देकर रसीद प्राप्त किया गया है। यह है कि प्रथम पक्ष लालची है, जो बेईमानी पूर्वक विपक्षीगण का जमीन को प्राप्त करना चाहता है। आवेदक के द्वारा बिना कोई हक हकियत के प्रश्नगत भूमि के संबंध में विविध आवेदन वाद दायर किया गया है। यह है कि विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर right, title, interest and possession है जो लंबे समय है, जिसको संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सिविल प्रकृति का मामला है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के आवेदक का आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है

कि पैसे की आवश्यकता होने के कारण झख महतो के द्वारा खाता संख्या–05 का प्लॉट संख्या–93, रकवा–37 डी0, प्लॉट संख्या–17, रकवा–14 डी0, प्लॉट संख्या–20, रकवा–50 डी0, प्लॉट संख्या–37, रकवा–58 डी0, प्लॉट संख्या–44 रकवा–31 डी0, प्लॉट संख्या–100, रकवा–18 डी0, प्लॉट संख्या–201, रकवा–34 डी0, प्लॉट संख्या–106, रकवा–54 डी0, प्लॉट संख्या–103, रकवा–02 डी0 कुल रकवा–2.98 एकड़ भूमि पर्वतिया देवी, पति–बाढ़ो यादव, ग्राम–गोवरडीह, थाना–हण्टरगंज को निबंधित सेल डीड के माध्यम से सेल डीड संख्या–338, दिनांक–23.01.1971 द्वारा बेच दिया गया। खरीदगी जमीन पर पर्वतिया देवी खास दखलकार हुई, लगान देकर रसीद भी प्राप्त किया गया। उसी तरह झख महतो खाता संख्या–05, प्लॉट संख्या–16, रकवा–11 डी0, प्लॉट संख्या–27, रकवा–31 डी0, प्लॉट संख्या–39, रकवा–26 डी0, प्लॉट संख्या–41, रकवा–9 डी0, प्लॉट संख्या–42 रकवा–35 डी0, प्लॉट संख्या–48, रकवा–3 डी0, प्लॉट संख्या–66, रकवा–8 डी0, प्लॉट संख्या–68, रकवा–15 डी0, प्लॉट संख्या–8, रकवा–06 डी0, प्लॉट संख्या–90, रकवा–04 डी0, कुल रकवा–1.48 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–397, दिनांक–23.01.1971 के माध्यम से रामेश्वरी देवी को बेच दिया गया। खरीदगी जमीन पर रामेश्वरी देवी खास दखलकार हुई, लगान देकर रसीद भी प्राप्त किया गया। यह भी उल्लेखित किया गया है कि झख महतो खाता संख्या–05, प्लॉट संख्या–106, रकवा–34 डी0, प्लॉट संख्या–201, रकवा–16 डी0, प्लॉट संख्या–86, रकवा–7 डी0, प्लॉट संख्या–42, रकवा–5 डी0, प्लॉट संख्या–44 रकवा–6 डी0, प्लॉट संख्या–93, रकवा–16 डी0, प्लॉट संख्या–53, रकवा–03 डी0, प्लॉट संख्या–52, रकवा–03 डी0, प्लॉट संख्या–53, रकवा–03 डी0, कुल रकवा–1.24 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–......, दिनांक–16.11.2017 के माध्यम से धनु महतो को बेच दिया गया । खरीदगी जमीन पर धनु महतो खास दखलकार हुए, लगान देकर रसीद भी प्राप्त किया गया। आवेदक उक्त केवाला के संबंध में भली–भांति अवगत थे। यह है कि आवेदक के द्वारा सिर्फ परेशान करने की मंशा से आवेदन दाखिल किया गया है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के आवेदक का आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अचंल अधिकारी, हण्टरगंज के पत्रांक–247, दिनांक–10.04.2018 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि–ग्राम गोवरडीह थाना संख्या 169 के अंतर्गत खाता संख्या 05 प्लॉट संख्या 16, 27 वगैरह कुल रकवा

11.92 एकड भूमि सर्वे खतियान विशु महतो के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत भूमि से प्रथम पक्ष सोगर गोप का 2.50 एकड भूमि का सरकारी रसीद पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 127/1 पर निर्गत हो रहा था जो बिक्री के पश्चात् 1.70 एकड भूमि बच रहा है। द्वितीय पक्ष के लोगो का जमाबंदी निम्न प्रकार कायम है।

क्र0	क्रेता का नाम	विक्रेता का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	पेज नं0
01	धनु महतो	झाख महतो	05		1.24	151/1
02	पार्वती देवी	झाख महतो	05		1.30	170/1
03	रामेश्वरी देवी	झाख महतो	05		1.48	171/1
04	यमुना साव	झाख महतो	05		0.04	166/1
05	दयाल महतो पिता–लोधर महतो		05		2.98	123/1
06	दयाल महतो पिता एवं झारव महतो		05		1.50	124/1
07	धनु महतो पिता वदु महतो		05		0.40	149/1
08	फुलिया महतवाइन पति केशर महतो		05		0.48	136/1
				कुल	9.42 ए0	

दोनो पक्षों के जमाबंदी की जमीन पर (9.42+2.50)=11.92 एकड उपरोक्त क्रम संख्या से 4 तक के लोग झारव महतो से भूमि खरीद किये हुए है जिसका सरकारी रसीद उपरोक्त में निर्गत हो रहा है क्रम संख्या 5 से 8 तक लोगों का किस प्रकार रसीद निर्गत हो रहा है स्पष्ट नही है। **उपरोक्त चार व्यक्ति के विक्रेता झारव महतो को किस प्रकार भूमि हासिल है यह भी पूर्व जमाबंदी में स्पष्ट नहीं है।** ग्रामीण के कथनानुसार **झारव महतो सर्वे खतियान के वंशावली में नहीं आता है।** सर्वे खतियान का वंशावली ग्रामीण के अनुसार।

वंशावली

- विशु महतो
  - जागा महतो
    - चौधरी महतो (नावल्द)
  - टुया देवी
    - पति–लोधर महतो
      - पुत्र दयाल महतो
        - रामेश्वर महतो
          - सोधन महतो
        - गुदी महतो
          - सोमर महतो
        - बवनी महतो
          - पुत्रि सुगिया देवी
  - गुत्री देवी
  - मनि महतो

(प्रथम पक्ष)

उपरोक्त उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन, अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. रैयती भूमि का मामला
2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा
3. विपक्षी के द्वारा खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा निर्गत निबंधित केवाला के आधार पर दावा
4. वंशावली का विवाद

1. रैतयी भूमि का मामला :–अचंल अधिकारी, हण्टरगंज के पत्रांक–247, दिनांक–10.04.2018 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि–"ग्राम गोवरडीह थाना संख्या 169 के अंतर्गत खाता संख्या 05 प्लॉट संख्या 16, 27 वगैरह कुल रकवा 11.92 एकड भूमि **सर्वे खतियान विशु महतो के नाम से दर्ज है।"**

2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा :– प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि– "यह कि खाता सख्या 05 ग्राम गोवरडीह, थाना वशिष्ठ नगर जोरी, थाना सख्या 169 खतियान में आवेदक सोमर महतो के परदादा विशु महतो के नाम से खतियान दर्ज है। खाता संख्या–05, प्लॉट सख्या– 16, रकवा– 30 डी0 प्लॉट संख्या– 27 रकवा– 84 डी0 प्लॉट सख्या– 39, रकवा– 53 डी0 प्लॉट सख्या– 41 रकवा– 23 डी0 प्लॉट– 43 रकवा– 52 डी0, प्लॉट संख्या– 48, रकवा– 09 डी0, प्लॉट संख्या– 66 रकवा– 20 डी0, प्लॉट संख्या– 80, रकवा– 16 डी0, प्लॉट संख्या– 68 रकवा– 39 डी0, प्लॉट संख्या– 93, रकवा– 01 एकड, प्लॉट संख्या– 17 रकवा– 37 डी0, प्लॉट संख्या– 20, रकवा– 97 डी0, प्लॉट सख्या– 24 रकवा– 90 डी0, प्लॉट संख्या– 25, रकवा– 03 डी0, प्लॉट संख्या– 37 रकवा– 1.56 एकड, प्लॉट संख्या– 44, रकवा– 83 डी0, प्लॉट सख्या–100 रकवा– 48 डी0, प्लॉट सख्या– 101 रकवा– 91 डी0, प्लॉट संख्या– 102 रकवा– 02 डी0, प्लॉट संख्या– 103 रकवा– 02 डी0, प्लॉट संख्या– 105 रकवा– 02 डी0, प्लॉट संख्या– 106 रकवा– 01.45 एकड कुल प्लॉट 22 कुल रकवा– 11.92 एकड भूमि है। यह कि विशु महतो अपने जीवन काल में उक्त खाता एवं प्लॉट की सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार थे तथा अपने पीछे दो पुत्र जागा महतो एवं मनी महतो को छोड़कर मृत हो गये। यह कि जागा एवं मनी महतो अपने जीवन काल में सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार हुए तथा जागा महतो निःसंतान मृत हो गये। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि पर मनी महतो दखलकार हुए तथा अपनी पीछे तीन पुत्र क्रमशः रामेश्वर महतो, गुदी महतो, बबुनी महतो को छोडकर मृत हो गये। यह कि रामेश्वर महतो, गुदी महतो एवं बबुनी महतो उपरोक्त वर्णित भूमि पर दखलकार हुए एवं तीनों भाई अपने जीवन काल में हिस्से के मुताबिक दखलकार हुए। यह कि गुदी महतो अपने पीछे एकमात्र लड़का सोमर गोप को छोड़कर मृत हो गये तथा अपने पिता के मृत्यु के बाद सोमर गोप हिस्से वाली जमीन दखलकार हुए एवं सरकारी रसीद अपने नाम से निर्गत कराते रहे। यह कि सोमर गोप अपने जीवन काल मे उपरोक्त भूमि में से कभी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से न तो स्वयं और ना ही उनके पिता गुदी महतो द्वारा कोई विक्रीनामा लिखा गया। यह कि कलानतर में आवेदन सोमर महतो के नाम से पंजी 2 में डिमाण्ड घटता चला गया जिसकी जानकारी आवेदक सोमर महतो को

अशिक्षित होने के कारण जानकारी प्राप्त न हो सकी। यह कि हाल के दिनो में जब आवेदक अपने बाल बच्चों को सारी बातो की जानकारी के पश्चात् पता चला कि उपरोक्त खाता प्लॉट की जमीन में से विपक्षीगण के नाम से जमाबंदी चल रही है। विपक्षीगण बिना अधिकार वो कागज के जालसाज कर अपने अपने नाम से सरकारी रसीद कटवाते रहे है। प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षीगण के नाम से चल रहे जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. विपक्षी के द्वारा खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा निर्गत निबंधित केवाला के आधार पर दावा :-विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि पैसे की आवश्यकता होने के कारण झख महतो के द्वारा खाता संख्या-05 का प्लॉट संख्या-93, रकवा-37 डी0, प्लॉट संख्या-17, रकवा-14 डी0, प्लॉट संख्या-20, रकवा-50 डी0, प्लॉट संख्या-37, रकवा-58 डी0, प्लॉट संख्या-44 रकवा-31 डी0, प्लॉट संख्या-100, रकवा-18 डी0, प्लॉट संख्या-201, रकवा-34 डी0, प्लॉट संख्या-106, रकवा-54 डी0, प्लॉट संख्या-103, रकवा-02 डी0 कुल रकवा-2.98 एकड़ भूमि **पर्वतिया देवी, पति-बाढ़ो यादव,** (इस वाद में विपक्षी संख्या-03) **ग्राम-गोबरडीह, थाना-हण्टरगंज को निबंधित सेल डीड के माध्यम से सेल डीड संख्या-338, दिनांक-23.01.1971 द्वारा बेच दिया गया।** खरीदगी जमीन पर पर्वतिया देवी खास दखलकार हुई, लगान देकर रसीद भी प्राप्त किया गया। उसी तरह झख महतो खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-16, रकवा-11 डी0, प्लॉट संख्या-27, रकवा-31 डी0, प्लॉट संख्या-39, रकवा-26 डी0, प्लॉट संख्या-41, रकवा-9 डी0, प्लॉट संख्या-42 रकवा-35 डी0, प्लॉट संख्या-48, रकवा-3 डी0, प्लॉट संख्या-66, रकवा-8 डी0, प्लॉट संख्या-68, रकवा-15 डी0, प्लॉट संख्या-8, रकवा-06 डी0, प्लॉट संख्या-90, रकवा-04 डी0, कुल **रकवा-1.48 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड संख्या-397, दिनांक-23.01.1971 के माध्यम से रामेश्वरी देवी** (इस वाद में विपक्षी संख्या-04) **को बेच दिया गया।** खरीदगी जमीन पर रामेश्वरी देवी खास दखलकार हुई, लगान देकर रसीद भी प्राप्त किया गया। यह भी उल्लेखित किया गया है कि झख महतो खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-106, रकवा-34 डी0, प्लॉट संख्या-201, रकवा-16 डी0, प्लॉट संख्या-86, रकवा-7 डी0, प्लॉट संख्या-42, रकवा-5 डी0, प्लॉट संख्या-44 रकवा-6 डी0, प्लॉट संख्या-93, रकवा-16 डी0, प्लॉट संख्या-53, रकवा-03 डी0, प्लॉट संख्या-52, रकवा-03 डी0, प्लॉट संख्या-53, रकवा-03 डी0, **कुल रकवा-1.24 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड संख्या-......, दिनांक-16.11.2017 के माध्यम से धनु महतो** (इस वाद में विपक्षी संख्या-02) **को बेच दिया गया।** खरीदगी जमीन पर धनु महतो खास दखलकार हुए, लगान देकर रसीद भी प्राप्त किया गया।

विपक्षी संख्या–02 छेदी यादव, पिता–स्व0 पुचु यादव खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा करते है।

4. **वंशावली का विवाद :– प्रथम पक्ष** के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में यह अंकित किया है कि–यह कि विशु महतो (सर्वे खतियानी रैयत) अपने जीवन काल में उक्त खाता एवं प्लॉट की सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार थे तथा अपने पीछे **दो पुत्र जागा महतो एवं मनी महतो** को छोड़कर मृत हो गये। **द्वितीय पक्ष** के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में यह अंकित किया है कि– "यह है कि सर्वे रैयत बिशु महतो के **दो पुत्र थे–जागो महतो, मनी महतो एवं दो पुत्री थी–दुईया देवी एवं बुतरी देवी।** यह है कि बिशु महतो द्वारा अपनी पुत्री का विवाह दयाल महतो तथा बुतरी देवी का विवाह देवनाथ महतो के साथ किया गया। बिशु महतो अपने पुत्री एवं दामाद को अपने घर पर घर जमाई के रूप में रख लिए। बिशु महतो अपनी जीवन में खाता संख्या–05 के रैयती जमीन को अपने पुत्र एवं पुत्री के बीच चार हिस्से में लगभग 1936 ई0 के आसपास प्रत्येक पुत्र एवं पुत्री 1/4 भाग के अनुसार हिस्सा दे दिए।"

अंचल अधिकारी, हंटरगंज के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष सोमर गोप का खाता संख्या–05 अंतर्गत रकवा–2.50 एकड़ भूमि का सरकारी रसीद पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 127/1 पर निर्गत हो रहा था जो बिक्री के पश्चात् 1.70 एकड़ भूमि बच रहा हैं। द्वितीय पक्षकारों में विभिन्न रैयतों का खाता सख्या–05 अंतर्गत कुल 9.42 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है। दोनों पक्षों का जमाबंदी रकवा मिलाकर (11.92 एकड़) सर्वे रकवा के बराबर है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संबंधित वाद में प्रश्नगत भूमि में स्वत्व का मामला परिलक्षित होता है। अतः इस न्यायालय से कोई आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। संबंधित पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय/civil Court की शरण में जा सकते है।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

18/11/21
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

18/11/2021
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:24:21 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe